न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 04/2021

प्रार्थी :–

भोपालसिंह पुत्र हनवन्तसिंहजी जाति राजपूत निवासी धारणा तहसीलल सिवाना जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. शैतानसिंह पुत्र हनवन्तसिंहजी जाति राजपूत निवासी धारणा तहसीलल सिवाना जिला बाड़मेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थित :–

1. श्री पूनमचन्द रामदेव अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थी संख्या 1 इकबाली जवाब

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19/02/2021

प्रार्थी अधिववता द्वारा उक्त प्रार्थना रा.भू.अ की धारा 136 तहत पेश किया गया । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 के नाम पर सयुंक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1019/918, 561, 920/395,923/397,926/599 रकबा क्रमशः 4.3869,1. 3840,0.1214,0.7527,3.8015 हैक्टयर की भूमि सरहद मौजा धारणा व खसरा संख्या 934/269 व 17 रकबा 4.4273 व 4.3706 हैक्टयर की भूमि ग्राम सरहद मौजा देवपुरा पटवार मण्डल धारणा में आई हुई है । प्रार्थी का वास्तविक नाम भोपालसिंह पुत्र हनवन्तसिंहजी है जबकि राजस्व रेकर्ड में गलती से प्रार्थी का नाम भोपसिंह पुत्र हडवन्तसिंह इन्द्राज हो गया है प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात यथा मतदाता कार्ड,आधारकार्ड, प्रार्थी के बैंक खाता में अन्य पहचान पत्रों में प्रार्थी का नाम भोपालसिंह पुत्र हनवन्तसिंह अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व अधिकारियों द्वारा भूलवश भोपालसिंह की जगह भोपसिंह पुत्र हडवन्तसिंह अंकित कर दिया जिसे दुरूस्त करने हेतु प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का वास्ते रेकर्ड दुरूस्ती पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण जो जरिये नोटिस तलब किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested

विप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से वकील श्री जयप्रकाश ने उपस्थित होकर राजस्व ग्राम धारणा व देवपुरा में स्थित प्रार्थी की खातेदारी भूमियों में प्रार्थी का नाम शुद्ध किये जाने हेतु इकबाली जवाब प्रस्तुत किया।

हमने प्रार्थी वकील की एकपक्षीय बहस सुनी पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। विप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

01 द्वारा भी राजस्व ग्राम धारणा व देवपुरा में स्थित भूमियों में प्रार्थी का नाम भोपसिंह के स्थान पर भोपालसिंह शुद्व किये जाने की सहमति दी है। अतः उक्त अशुद्ध को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर कि प्रार्थी का नाम पर सयुंक्त खातेदारी के खेत खसरा संख्या 1019/918, 561, 920/395, 923/397, 926/599 रकबा क्रमशः 4.3869,1.3840,0.1214,0.7527,3.8015 हैक्टयर की भूमि सरहद मौजा धारणा व खसरा संख्या 934/269 व 17 रकबा 4.4273 व 4.3706 हैक्टयर की भूमि ग्राम सरहद मौजा देवपुरा पटवार मण्डल धारणा में प्रार्थी का नाम "भोपसिंह पुत्र हडवन्तसिंह" के स्थान पर "भोपालसिह पुत्र हनवन्तसिंह" शुद्व किये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की पालना भूमिधारक तहसीलदार सिवाना एक माह में कर पालना रिर्पोट भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 19/02/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O) सिवाना
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.07.27 11:59:39 IST
Reason: SelfAttested